(56)

कन्हैया बनाम जगदीश वगै0 16/2019 251(क)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर मे जारी हुए
	पत्रावली आज दिनांक 30.08.2022 को पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट निम्नानुसार पेश हुई है– 1. यह है कि प्रार्थी कन्हैया पुत्र बिरधा काछी वगै0 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2644 रकबा 1.19है0 वाके ग्राम सारसोप पर **पहुँच का कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।** 2. यह है कि प्रार्थीयान की भूमि पर जाने के लिये **वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से रास्ते की बहुत आवश्यकता है।** खातेदारी भूमि ख.नं. 2644 रकबा 1.19है0 पर पहुचने के लिये मुख्य सड़क (सारसोप से ऐंचेर) से ख.नं. **2647 पर होते हुए लघुत्तम दूरी है।** तथा उक्त खातेदारी भूमि पर जाने के लिये ख.नं. 2647 रकबा 02.00है0 किस्म चाही 3 जो भंवरसिंह, गोपालसिंह, मानसिंह पि0 गुलाब सिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज है की **पूर्वी मेड़ से होते हुए लघुत्तम दूरी है।** 3. यह है कि ग्राम सारसोप के खातेदार कन्हैया पुत्र बिरधा दत्तक पुत्र बजरंगा काछी वगै0 की खातेदारी भूमि ख.नं. 2644 पर जाने के लिये ख.नं. 2647 की पूर्वी मेड़ से लम्बाई 96 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर अर्थात 384 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर 531651 रूपये प्रति है0 के हिसाब से 20416 रूपये की दुगुनी राशि 40832/– रूपये बनती है। अतः उक्तानुसार रास्ता दिये जाने की अभिशंषा के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा का अवलोकन व मनन किया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड उपरोक्त खसरा नंबर पर पहुंच का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। **रास्ता या पहुँच मार्ग एक आवश्यक सुखाधिकार है, किसी भी भूमि पर पहुँच हेतु रास्ता होना आवश्यक होता है।** एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत किसी भी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँच मार्ग दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2644 रकबा 1.19है0 वाके ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा पर आने–जाने हेतु ख.नं. 2647 की पूर्वी मेड़ से लम्बाई 96 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर अर्थात 384 वर्गमीटर भूमि बनती है। जिसकी डीएलसी दर 531651 रूपये प्रति है0 के हिसाब से 20416 रूपये की दुगुनी राशि 40832/– रूपये राशि अप्रार्थीगण खातेदार भंवरसिंह, गोपालसिंह, मानसिंह पि0 गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासीयान सारसोप को उनके हिस्से के अनुसार दिलवाई जाकर खसरा नंबर 2647 की पूर्वी मेड़ से लम्बाई 96 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर अर्थात 384 वर्गमीटर भूमि को नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपजिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा